

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/आर-106/2013/अलेसे-II, III/ **5458** दिनांक :- **10/03/25**

कार्यालय आदेश

श्री राजकुमार चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को निदेशालय के आदेश सं. एफ.4(ई)/लिंक नं./निप/अलेसे-III/23/706 दिनांक 21.08.2023 के द्वारा दिनांक 14.08.2023 से निलम्बित कर मुख्यालय कोष कार्यालय, दौसा किया गया था। श्री राजकुमार चौधरी को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री राजकुमार चौधरी द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा कोषाधिकारी, दौसा के पत्रांक कोष/संस्था/2025/312 दिनांक 07.02.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(I)(ए)(i) के अनुसरण में श्री राजकुमार चौधरी (निलम्बित), सहायक लेखाधिकारी-II (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सेवा नियम 53(I)(बी), 53(2) एवं 55 की पालना सुनिश्चित करने की शर्त पर एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।

श्रीराम

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-2463/2013/अलेसे-III/ **5458**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- **10/03/25**

1. कार्यालय कोषाधिकारी, दौसा।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।

सीमा
(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)